JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlp.in

मुर्गी पालन मदर युनिट के संचालन हेतु उपयुक्त जीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के चयनार्थ आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं |

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन को **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** के रूप में नामित किया गया है। अब इसके कार्यकलाप बिहार के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडो में चलाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास विभाग के साथ सहभागिता कर अभी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति मदर यूनिट मॉडल के आधार पर 'समेकित कुक्कुट विकास योजना' का प्रोत्साहन कर रही है। एक मदर यूनिट द्वारा बैकयार्ड मुर्गी पालन में रुचि रखने वाले जीविका स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध कम से कम 300 परिवारों को इस कार्यक्रम हेतु सम्पोषण प्रदान किया जाता है। मदर यूनिट का संचालन जीविका स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य द्वारा किया जाता है किन्तु सम्पोषण संबंधित नोडल स्वयं सहायता समूह / नोडल ग्राम संगठन / संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाता है।

मुर्गी पालन मदर यूनिट के संचालन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

मदर युनिट के अन्तर्गत संचालित मुर्गी फार्म योजना का स्वरुप :-

1. मदर यूनिट में एक दिनी चूजों को 28 दिनों तक पालन किया जाना है जिसकी जिम्मेदारी मदर यूनिट मालिक की होगी।
2. एक मदर यूनिट में 300 परिवार हेतु कुल मिलाकर 45000 चूजों को विभिन्न चरणों में पालन किया जाता है।
3. मदर यूनिट में चूजों को आवश्यकतानुसार समय पर आहार, जल, रोगनिरोधक इंजेक्शन, दवा की व्यवस्था की जिम्मेदारी मदर यूनिट पालक की होगी।
4. एक दिनी चूजे, आहार, दवा एवं मदर यूनिट के रख - रखाव पर होने वाले व्यय का वहन ग्राम संगठन / संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाएगा।
5. मदर यूनिट से 28 दिनी चूजों का वितरण चयनित परिवारों में संकुल स्तरीय संघ / नोडल ग्राम संगठन / नोडल स्वयं सहायता समूह से किया जायगा।

6. मदर यूनिट पालकों को 28 दिनी जीवित चूजा उपलब्ध कराने पर 5 रु0 प्रति चूजा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
7. मदर यूनिट पालक तथा संकुल स्तरीय संघ / नोडल ग्राम संगठन के बीच एक सहमति पत्रक (MoU) हस्ताक्षरित होगा।
8. मुर्गी पालन मदर यूनिट का चयन अंतिम रूप से संकुल स्तरीय संघ / नोडल ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा।
9. अभ्यर्थी आवेदन का प्रपत्र सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं अथवा जीविका के वेबसाइट www.brlp.in से डाउनलोड कर विहित प्रपत्र में प्रस्ताव सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधन इकाई में जमा कर सकते हैं।
10. प्रस्ताव निश्चित रूप से दिनांक 22/11/2014 को 15:00 बजे तक समर्पित कर दिया जाना चाहिए। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर सकता है।
11. यदि प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्राप्ति करने वाले कार्यालय के लिए छुट्टी का दिन हो तो अगली तिथि को निर्धारित समय तक प्रस्ताव जमा किया जा सकता है।

अभ्यर्थी की पात्रता :-

1. अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए |
2. कुल रिक्तियों का 50% अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए होगा |
3. अभ्यर्थी के पास मुर्गी पालन का पूर्व अनुभव होना चाहिए |
4. अभ्यर्थी के पास 3000 वर्ग फीट आकार का मुर्गी फार्म होना चाहिए |
5. मुर्गी फार्म स्वच्छतायुक्त एवं हवादार होना चाहिए |
6. मुर्गी फार्म की अवस्थिति आबादी वाले क्षेत्र से हट कर होनी चाहिए |
7. मुर्गी फार्म में ताज़े पानी तथा रात के समय प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए |

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी